झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

आदेश

आ0 संख्या– 152   राँची, दिनांक :–25-05-17

राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने एवं पंचायतों को विभिन्न विभागों के द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के फलस्वरूप संदर्भित विभागों की नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर ससमय संपादन एवं सुचारू व्यवस्था हेतु मुखिया की जिम्मेवारी को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय ज्ञापांक 2176 दिनांक 21.07.2014 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निदेश निर्गत किया गया था ।

2. इसी के साथ विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों का विभागीय नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु ग्राम पंचायत भवन में मासिक समीक्षा बैठकं मुखिया द्वारा आहूत किए जाने का निदेश भी दिया गया था परन्तु इस विभागीय निदेश का अनुपालन एवं अनुश्रवण नहीं होने के फलस्वरूप यह बात प्रकाश में आ रही है कि पंचायत स्तरीय समीक्षा बैठकें ससमय नहीं हो पा रही है एवं यदा–कदा बैठक होने पर विभिन्न विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा भाग नहीं लिया जा रहा है । यह भी देखा जा रहा है कि पंचायत स्तरीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति प्रखण्ड में कर दिए जाने के कारण उनके द्वारा न तो बैठक में भाग लिया जाता है और न ही उनके स्तर से पंचायतों का काम संपादित किया जाता है ।

1. सम्यक विचारोपरांत पुनः निम्नवत निदेश दिया जाता है –

i. मुखिया द्वारा पंचायत स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों यथा ग्रामीण विकास विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग आदि के विभागीय एवं सामुदायिक कर्मियों एवं सेवा प्रदाताओं यथा पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, जनसेवक, राजस्व कर्मचारी, सहिया कोऑडिनेटर, ए0एन0एम0, जल सहिया, कृषक मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, JSLPS अन्तर्गत कार्यरत ग्राम संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव, शिक्षा विभाग के कलस्टर साधन सेवी आदि के साथ मासिक बैठक आहूत की जाय जिसमें विभागों द्वारा पंचायत स्तर पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी । बैठक में संबंधित पंचायत के लिए चयंनित पंचायत स्वयंसेवक भी भाग लेंगे ।

ii. **बैठक में सभी विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों का भाग लेना अनिवार्य होगा।** आवश्यकतानुसार विषय से संबंधित विशेषज्ञ/संबंधित पंचायत में कार्यरत गैर सरकारी संस्था (NGO) को बैठक में मुखिया द्वारा आमंत्रित किया जा सकेगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया या पंचायत समिति सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

iii. **बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित पंचायत के पंचायत सचिवालय में आयोजित की जाएगी** । विशेष परिस्थिति में मुखिया उक्त तिथि में परिवर्त्तन कर सकते है एवं बैठक में सभी विभागों द्वारा कियान्वित योजनाओं तथा उनसे संबंधित कर्मियों के बीच समन्वय पर बल दिया जाएगा। कार्यकारिणी के बैठक की कार्यवाही एक सत्यापित पंजी में अंकित की जाएगी।

iv. पंचायत सेवक / जनसेवक / अन्य कर्मचारी यदि 2 या अधिक पंचायत के प्रभार में हो तो उसी अनुसार मासिक बैठक में एकांतर रूप से भाग लेंगे ।

v. उक्त बैठक में पंचायत को हस्तांतरित सभी विभागों के कार्यों की प्रगति विशेषकर 14वें वित्त आयोग, मनरेगा, एम0डी0एम0, एन0आर0एच0एम0, पी0एम0ए0वाई0 आदि योजनाओं के कियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण एवं शिकायत पर चर्चा की जाएगी। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के मध्य अभिसरण (Convergence) की संभावनाओं पर ध्यान देते हुए तद्नुसार पहल किए जाने पर बैठक में बल दिया जाएगा।

vi. **जिन विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मी नहीं है (यथा उद्योग विभाग) वैसे विभागों से संबंधित विषय के कियान्वयन हेतु सूचना उनके प्रखण्ड / अनुमण्डल / जिला स्तरीय पदाधिकारियों को लिखित रूप में दी जाएगी एवं वे पंचायत को की गई कार्रवाई से अवगत कराएंगे।**

vii. यदि किसी कर्मचारी का किसी समुचित कारणवश बैठक में उपस्थित होना संभव न हो तो इसकी पूर्व जानकारी संबंधित मुखिया को उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायत स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में बिना समुचित कारण अनुपस्थित रहना अथवा पंचायत की समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेश का ससमय अनुपालन नहीं करना अनुशासनहीनता एवं लापरवाही माना जाएगा तथा तद्नुसार मुखिया के प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिकतम एक माह में कार्रवाई निष्पादित की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं टालमटोल भी अनुशासनिक कार्रवाई का आधार होगा।

viii. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, उप निदेशक, पंचायत राज, सहायक निदेशक, पंचायत राज, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी इस कार्य का समन्यवय एवं त्रैमासिक अनुश्रवण कर नियमित एवं प्रभावशाली बैठक आयोजित कराने के लिए जिम्मेवार / प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा अनुश्रवाण प्रतिवेदन उपायुक्त के माध्यम से विभाग को प्रेषित करेंगे।

ix. इन बैठकों की कार्यवाही की कम्प्यूटर टंकित प्रतिलिपि ई–पंचायत के अन्तर्गत National Panchayat Portal पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए कार्यवाही की प्रतिलिपि डी0पी0एम0 / कम्प्यूटर ऑपरेटर को उपलब्ध कराया जाएगा।

x. **पंचायत स्तरीय समीक्षत्मक बैठक का प्रभावशाली कियान्वयन नहीं होने की स्थिति में इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारी / मुखिया के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है ।**

4. **उपायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि पंचायत स्तरीय कर्मियों की प्रतिनियुक्त प्रखण्ड अथवा जिला स्तर पर न हो एवं वे पदस्थापित पंचायत में उपलब्ध रहें एवं पंचायत का कार्य समुचित रूप से सम्पादित कर सके।**

5. सभी संबंधित विभाग इस आदेश का अनुपालन एवं अनुश्रवाण सुनिश्चित करेंगे। पंचायत स्तरीय उक्त समीक्षात्मक बैठक में अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं निर्देशों की अवहेलना सरकारी सेवक आचार नियमावली की धारा–3 का उल्लघंन माना जाएगा। इस आदेश की प्रतिलिपि सभी मुखिया/उप मुखिया/प्रमुख/उप प्रमुख/जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हस्तगत कराकर तामिला प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर समर्पित किया जाए।

1. इस आदेश का अनुपालन एवं अनुश्रवण उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा।

22/5/2017

(अमित खरे)

विकास आयुक्त, झारखण्ड ।

ज्ञापांक :– 1स्था(वि0)–36/2017–1872/, राँची, दिनांक :– 25-05-17

प्रतिलिपि:– सभी जिला परिषद, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रमुख/उप प्रमुख/मुखिया/उप मुखिया झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.5.17

(वंदना दादेल)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :– 1स्था(वि0)–36/2017–1872/, राँची, दिनांक :– 25-05-17

प्रतिलिपि:– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.5.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :– 1स्था(वि0)–36/2017–1872/, राँची, दिनांक :– 25-05-17

प्रतिलिपि:– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.5.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :– 1स्था(वि0)–36/2017–1872/, राँची, दिनांक :– 25-05-17

प्रतिलिपि:– मुख्य सचिव, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22.5.17

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :– 1स्था(वि0)–36/2017–1872/, राँची, दिनांक :– 25-05-17

प्रतिलिपि:– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी/सहायक निदेशक (अनुमण्डल स्तरीय), झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.5.17

सरकार के सचिव ।